

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdacad1960@gmail.com](mailto:jdacad1960@gmail.com) Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ.7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2022/पार्ट/352-357 दिनांक: 24 मार्च, 2022

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।


विषय :- स्नातकोत्तर (पूर्वाद्ध) में प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 3.2 में शिथिलता के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिन राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर (पूर्वाद्ध) में 20 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए तथा प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 3.2 की अनुपालना में मेरिट जारी की गई, किन्तु मेरिट के पश्चात् फीस जमा करवाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम है, उन राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश नीति (सत्र 2021-22) के बिन्दु संख्या 3.2 में शिथिलता प्रदान करते हुए न्यूनतम प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को 20 के स्थान पर 05 किया जाता है।


प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 05 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण कार्य वर्तमान सत्र (2021-22) के लिए स्थगित रहेगा।

भवदीय,

  
(डॉ. सौमित्र नाथ झा)  
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि -

1. निजी सचिव, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

  
(डॉ. सौमित्र नाथ झा)  
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)